संख्या- 215 /2023/ 1676 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 14 जून, 2023**

विषय:- उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा दिनांक 12-17 जून, 2023 की अवधि में आयोजित अभिलेख प्रबंधन एवं संरक्षण विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 187/नौ-7/2017-18 दिनांक 08 जून, 2023 के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 136/2023/890/चार-2023 दिनांक 21 मार्च, 2023 द्वारा उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार एवं इन्टैक, लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में अभिलेख संरक्षण विषयक प्रशिक्षण/ कार्यशाला कार्यक्रम कराये जाने हेतु रू0 1.90 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि आहरित कर लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ को उपलब्ध करायी गयी थी।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार,लखनऊ के प्रस्तावानुसार दिनांक 12 से 17 जून, 2023 के मध्य अभिलेख संरक्षण विषयक प्रशिक्षण/ कार्यशाला कार्यक्रम कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 3.30 लाख (रू0 तीन लाख तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) शासनादेश संख्या- 136/2023/890/चार-2023 दिनांक 21 मार्च, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए अवगत कराना है कि प्रश्नगत अभिलेख प्रबंधन एवं संरक्षण विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम संयुक्त तत्वावधान के स्थान पर एकल पक्ष - उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा स्वयं कराया जायेगा।

(2) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कराकर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व अभिलेखागार का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि रू0 3.30 लाख से संबंधित व्यय गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या- 136/2023/890/चार-2023 दिनांक 21 मार्च, 2023 द्वारा लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ को उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 1.90 लाख से तथा शेष रू0 1.40 लाख का वहन चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति -03- राज्य अभिलेख -44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय मद से वहन किया जायेगा।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या - 215 /2023 / 1676 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in